(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 55/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. - अभिहित प्राधिकारी, चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसमें इसके पश्चात विषयगत देश कहा गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची के शीर्षक 7228 के अंतर्गत "मिश्रित स्टील की स्ट्रेट लैंथ बार एंड रोड्स" (जिसे इसमें इसके पश्चात विषयगत माल कहा गया है) के आयात के मामले में जो आता है, अधिसूचना संख्या 6/10/2017-डीजीएडी तारीख 5 सितम्बर, 2018 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 तारीख 5 सितम्बर, 2018 में प्रकाशित की गई थी, ने अपने अंतिम निष्कर्ष में विषयगत देश से मूलत: उत्पादित या निर्यातित विषयगत माल के आयात पर परिभाषित प्रतिपाटित शुल्क को अधिरोपित करने की सिफारिश की थी;

और केन्द्रीय सरकार ने, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना 54/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 18 अक्तूबर, 2018 द्वारा विषयगत माल पर परिभाषित प्रतिपाटित शुल्क अधिरोपित किया था जो संख्यांक सा.का.नि. 1045 (अ) तारीख 18 अक्तूबर, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।। खंड 3, उप खंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (सहायकी, वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और नियम 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:--

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के परन्तुक में, अंक, अक्षर और शब्द "30 सितम्बर, 2021" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 जनवरी, 2022" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फाइल संख्या-190354/208/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव**,** भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 54/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को सा.का.नि. 1045 (अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 5/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 1 फ़रवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 78 (अ), दिनांक 1 फ़रवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।